कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कासगंज।

प्रशासनिक आदेश संख्या- 212 दिनांक- 25.10.2024

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 14218/Admin. (E-I) Section/XC-4/ Dated: Allahabad: 23.10.2024 द्वारा जिला न्यायालयों में दीपावली के अवसर पर दिनांक 31 अक्टूबर 2024 (गुरुवार) को अवकाश घोषित किया गया है तथा इसके स्थान पर 23 नवम्बर 2024 को पड़ने वाले चतुर्थ शनिवार को न्यायिक कार्य हेतु खोले जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपनी आख्या दिनांकित 24.10.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अधोहस्ताक्षरी के प्रशासनिक आदेश संख्या 01 दिनांकित 01.01.2024 द्वारा दीपावली के अवसर पर दिनांक 31.10.2024 (गुरूवार) को पूर्व से ही स्थानीय अवकाश घोषित है।

अतः दिनांक 31.10.2024 को पूर्व से घोषित स्थानीय अवकाश निरस्त किया जाता है तथा माननीय न्यायालय के उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में दीपावली के अवसर पर जनपद न्यायालय कासगंज में दिनांक 31 अक्टूबर 2024 (गुरुवार) को अवकाश घोषित किया जाता है तथा इसके स्थान पर माह नवम्बर 2024 में दिनांक 23.11.2024 को पड़ने वाले चतुर्थ शनिवार को न्यायिक कार्य हेतु न्यायालय खुला रहेगा। एक दिवस के स्थानीय अवकाश के सम्बन्ध में पृथक से आदेश पारित किया जाएगा।

समस्त सम्बन्धित सूचित हों।

ह0/- 25.10.24

(सैयद माऊज़ बिन आसिम)
जनपद न्यायाधीश,
कासगंज।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय कासगंज।
2- पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण, कासगंज।
3- अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, जनपद कासगंज।
4- जिलाधिकारी, कासगंज।
5- पुलिस अधीक्षक, कासगंज।
6- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
7- अधीक्षक, जिला कारागार कासगंज।
8- मुख्य चिकित्साधिकारी, कासगंज।
9- जिला अभियोजन अधिकारी, कासगंज।
10- समस्त बार एसोसियेशन, कासगंज को सूचनार्थ।
11- केन्द्रीय नाजिर को जनपद न्यायालय कासगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
12- सिस्टम आफीसर आदेश की सूचना जपनद न्यायालय कासगंज की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
13- गार्ड फाइल।

सत्य प्रतिलिपि
25/10/24
प्रशासनिक लिपिक
जनपद न्यायालय, कासगंज